कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलक्टर, दौसा

श्रीमती चांदी बाई चावला पत्नि स्व. श्री भैरूलाल चावला, निवासी लाल बाग, नाथद्वारा जिला राजसमंद राज0

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान

अपील संख्या 02/2023

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक 09.02.2023

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वांछित सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वांछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान को प्राप्त पत्रों की छाया प्रति प्रेषित कर अपीलांट को वांछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जांच टिप्पणी मंगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान से संबंधित है। लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान को पत्र कमांक: डीएम/कोर्ट/2023/62 दिनांक 10.01.2023 के द्वारा अपीलांट को वांछित सूचना अविलंब उपलब्ध कराने हेतु निर्देश प्रदान किये गये। लोक सूचना अधिकारी उपखंड अधिकारी नांगल राजावतान ने पत्र कमांक:आरटीआई/2023/201 दिनांक 09.02.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलांट को सूचना की वस्तुस्थिति से दिनांक 03.01.2023 को ही अवगत कराया जा चुका है। उक्त पत्रादि की प्रति पत्रावली में संलग्न है। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांट को सूचना की वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(कमर चौधरी)
जिला कलक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:24:42 IST
Reason: SelfAttested